मोहम्मद अली

बनाम

वी. जय और ओ. आर. एस.

(2022 की सिविल अपील संख्या 4113)

/

11 जुलाई, 2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

भारत का संविधानःअनुच्छेद 227-उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालय ों पर अधीक्षण की शक्ति-पुनरीक्षण की शक्ति-विस्तार और दायरा-अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण याचिकाएं, जिसमें एक पक्षीय निर्णय और विचारण न्यायालय के विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को चुनौती दी गई है, और एक पक्षीय निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए के लिए आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार करने का आदेश, यह देखते हुए कि कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था-उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुज्ञात और निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया, यह मानते हुए कि मन का पूर्ण गैर-आवेदन था क्योंकि विचारण न्यायालय ने वादी की ओर से तैयारी और इच्छा के पहलू पर विचार नहीं किया था। और उस निचली विचारण न्यायालय ने गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना देरी को माफ करने से इनकार कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःउच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि क्या निचली विचारण न्यायालय ने 2345 दिनों की इतनी बड़ी देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था-उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य की सराहना और विचार नहीं किया कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने 1522 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था, जहां तक कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी-उच्च न्यायालय ने याचिका की स्थिरता पर विचार नहीं किया।115 सी. पी. सी. और यू/अनुच्छेद 227-इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने बिना किसी स्पष्ट औचित्य के देरी को माफ करने से इनकार करने वाले आदेश अपास्त करते हुए दिया-एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्णय और डिक्री की वैधता और वैधता पर टिप्पणी की जैसे कि वह अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था-उच्च न्यायालय ने

अप्रासंगिक विचार पर आदेश पारित किया और प्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया- उच्च न्यायालय ने एकतरफा निर्णय अपास्त करते हुए ते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया-इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है, और रद्द कर दिया गया और दरकिनार कर दिया गया।

/

/

/

/

/

/

274 ए.

275

मोहम्मद अली बनाम वी. जय और ओआरएस।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** उच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि क्या निचली विचारण न्यायालय ने **2345** दिनों की इतनी बड़ी देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था।उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य की सराहना नहीं की है और इस पर विचार नहीं किया है कि मूल प्रतिवादी संख्या **1** के रूप में **1522** दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने वाले निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी।मूल प्रतिवादी संख्या **1** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन के माध्यम से निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को सीधे चुनौती दी।भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन को बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है या नहीं, इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।अन्यथा भी, प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध एकतरफा निर्णय और डिक्री के खिलाफ उपाय या तो सी. पी. सी. के आदेश **IX** नियम **13** के अंतर्गत आवेदन दायर करना या पहली अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील करना था।प्रतिवादियों ने सी. पी. सी. के आदेश **IX** नियम **13** के अंतर्गत आवेदन दायर करके पहले उपाय का लाभ उठाया। हालाँकि, **1522** और **2345** दिनों की भारी देरी हुई, जिसे निचली विचारण न्यायालय ने माफ नहीं किया।इस पर कुछ भी व्यक्त किए बिना कि क्या निचली विचारण न्यायालय ने देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था, उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय

द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसमें मूल प्रतिवादी संख्या **2** से **4** के संबंध में देरी को माफ करने से इनकार किया गया है।उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए था कि क्या निचली विचारण न्यायालय ने देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था या नहीं।विलंब को माफ करने से इनकार करने वाले निचली विचारण न्यायालय के आदेश पर कोई चर्चा नहीं हुई है।**[**पैरा **6.1] [283-**बी**-**एफ**]**

/

/

/

/

/

1.2 एकतरफा निर्णय और डिक्री के खिलाफ, पहली अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से उपाय उपलब्ध था।इसलिए, उच्च न्यायालय को सी**.** पी**.** सी**.** की धारा **115** और भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत संशोधन आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था।उच्च न्यायालय को एकतरफा निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाले ऐसे पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था।एक बार जब प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध अपील के माध्यम से एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय था, तो उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत एक रिट याचिका या पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था। **[**पैरा **6.2] [283-**जी**-**एच**]**

/

/

/

1.3 उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदान किए गए अपील के एक विशिष्ट उपाय को देखते हुए निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।इसलिए, उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाली अनुच्छेद **227** के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने और अपास्त करते हुए में गंभीर त्रुटि की है।**[**पैरा **7.1] [285-**डी**-**ई**]**

/

1.4 यहां तक कि अन्यथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश पर विचार करते हुए**,** ऐसा प्रतीत होता है कि एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए**,** उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की वैधता और वैधता पर टिप्पणी की जैसे कि उच्च न्यायालय निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।गुण**-**दोष पर निर्णय और डिक्री पर विचार करने और**/**या निर्णय और डिक्री **(**एकतरफा**)** की वैधता और वैधता पर गुण**-**दोष पर कुछ भी व्यक्त करने से पहले**,** उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या निचली विचारण न्यायालय एकतरफा निर्णय और डिक्री पारित करने में उचित थी या नहीं।उच्च न्यायालय को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या निचली विचारण न्यायालय ने एकतरफा निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने में **1522** और **2345** दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था।इसलिए**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश विधि के साथ**-**साथ तथ्यों दोनों पर अस्थिर है।उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद **227** के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश अप्रासंगिक विचारों पर आधारित हैं और संबंधित पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है और उन पर विचार नहीं किया गया है।इन परिस्थितियों अंतर्गत **,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।**[**पैरा **7.2] [285-**एफ**-**एच**; 286-**ए**-**बी**]** ए

/

/

/

/

/

/

277

मोहम्मद अली बनाम वी. जय और ओआरएस।

1.5 सिविल संशोधन याचिका **(**एन**.** पी**.** डी**.)** संख्या **1054/2021** और सिविल संशोधन याचिका **(**पी**.** डी**.)** संख्या **1301/2021** में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक **19.11.2021** को रद्द कर दिया गया है।निचली विचारण

न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री के साथ-साथ निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश (ओं), जिसमें एकतरफा निर्णय और मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दायर डिक्री को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिकाओं को प्राथमिकता देने में 2345 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार किया गया है, को बहाल किया जाता है।[पैरा 8] [286-सी-डी]

/

राधे श्याम और अन्र. वी.छबी नाथ और ओआरएस। (2015)

5 एससीसी 423:[2015] 3 एस. सी. आर. 197; के. पी. नटराजन और

/

एन. आर. वी.मुतालम्मल और ओआरएस। (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी

467 – संदर्भित किया गया।

विरुधुनगर हिंदू नादरगल धर्म परिवर्तन सबाई और ओआरएस. वी.तूतीकोरिन एजुकेशनल सोसाइटी और

ओआरएस। (2019) 9 एस. सी. सी. 538-पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

/

[2015] 3 एससीआर 197

संदर्भित

पैरा 4.2

(2019) 9 एस. सी. सी. 538

पर विश्वास किया

पैरा 7.1

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 4113

2022.

2021 की सिविल संशोधन याचिका (पी. डी.) (एम. डी.) No.1301 में मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.11.2021 के निर्णय और आदेश से।

/

सह

2022 की सिविल अपील संख्या 4114

आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, भूपेंद्र प्रताप सिंह, टी. गोपाल, जी. शिवबलमुरुगन, सचिन शर्मा, विमल पानी, एस. सी. वी., अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

एम. करपगविनयगम, वरिष्ठ अधिवक्ता, नितिन कुमार, दीपक शर्मा, एस. गौतम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

/

278

/

[2022] 13 एस सी आर।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. मद्रास उच्च विचारण न्यायालय द्वारा मदुरै पीठ में नागरिक पुनरीक्षण याचिका (एन. पी. डी.) संख्या और नागरिक पुनरीक्षण याचिका (पी. डी.) संख्या में पारित किए गए आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च विचारण न्यायालय ने विद्वान विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया है, मूल वादी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

2.वर्तमान अपीलों के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

/

2.1 कि इसमें अपीलार्थी-मूल वादी ने 1 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पी. सी. आर.), त्रिची की फाइल पर दिनांकित 17.07.2009 को बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए ओ. एस. सं. 15/2010 होने का मुकदमा दायर किया।उक्त मुकदमा चार प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किया गया था।अभियुक्तों को एकतरफा रखा गया था।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने एक एकतरफा निर्णय और डिक्री दिनांक 31.10.2012 पारित की।उस मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 2345 दिनों की देरी हुई।इसलिए, मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने 2345 दिनों की देरी को माफ करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया।मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया।एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 1522 दिनों की देरी हुई।इसलिए, मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 1522 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया, एक मूल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया और दूसरा मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दायर किया गया।

/

/

/

2.2 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 2345 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल संशोधन याचिका संख्या 1054/2021 को प्राथमिकता दी।हालांकि, मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी, जिसमें एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 1522 दिनों की देरी को माफ करने के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जो कि नागरिक पुनरीक्षण याचिका ए है।

/

/

279

मोहम्मद अली बनाम वी. जय और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

नहीं. 1301/2021 एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करना।आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दो पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुज्ञात कर लिया है और विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया है कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पूरी तरह से गैर-प्रयोग पर है क्योंकि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित करने से पहले, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने वादी की ओर से तैयारी और इच्छा के

पहलू पर विचार नहीं किया है।इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च विचारण न्यायालय ने गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया है, क्या विद्वत विचारण विचारण न्यायालय एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 2345 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने में उचित था।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दायर नागरिक संशोधन याचिका (सी. आर. पी.) संख्या 1045/2021 को अनुज्ञात है।सी. आर. पी. सं. 1301/2021 (मूल प्रतिवादी सं. 1 द्वारा एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए दायर) और सी. आर. पी. सं. 1045/2021 (मूल प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा दायर) में उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) से व्यथित होने के कारण, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए, जिसने एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 2345 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया, मूल वादी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

/

/

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण याचिका में एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए में गंभीर त्रुटि की है।3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री एक अपील योग्य आदेश था और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बजाय अपील को प्राथमिकता देनी चाहिए थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, जब विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ एक वैधानिक अपील प्रदान की गई थी, तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय और डिक्री को दरकिनार नहीं करना चाहिए था।

/

/

/

280

/

[2022] 13 एस सी आर।

3.2 यह आगे तर्क दिया जाता है कि अन्यथा भी उच्च न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च विचारण न्यायालय ने विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की वैधता और वैधता पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं जैसे कि उच्च विचारण न्यायालय विद्वत परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च विचारण न्यायालय ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और/या कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि क्या विद्वत विचारण विचारण न्यायालय एकतरफा निर्णय और डिक्री पारित करने में उचित था या नहीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल ऐसे मामले में जहां एकतरफा निर्णय और डिक्री को विशिष्ट निष्कर्ष देने के बाद दरकिनार कर दिया जाता है कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय एकतरफा निर्णय और डिक्री पारित करने में उचित और/या सही नहीं था कि निर्णय और डिक्री के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता थी।

/

/

3.3 अपीलार्थी-मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर उचित रूप से विचार नहीं किया है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा याचिका दायर करने में 1522 दिनों की देरी हुई थी जिसमें एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने की मांग की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया और 1522 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।यह कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने में 1522 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था, अंतिमता प्राप्त कर ली थी क्योंकि इसे मूल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।यह तर्क दिया जाता है कि इसलिए 1522 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने वाले विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को किसी भी चुनौती के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एकतरफा निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका/आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।

/

/

/

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं किया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के दायरे और दायरे से परे काम किया है।3.5 अपीलार्थी-मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि अन्यथा भी उच्च विचारण न्यायालय द्वारा इस बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किए गए हैं कि क्या विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए करने के लिए याचिका दायर करने में 2345 और 1522 दिनों की देरी को माफ नहीं किया था।

/

/

281

मोहम्मद अली बनाम वी. जय और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

कि जब मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए के लिए याचिका दायर करने में 2345 और 1522 दिनों की भारी देरी हुई थी और जब विद्वत विचारण न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश द्वारा देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था, तो उसे उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था, वह भी देरी को माफ करने से इनकार करने वाले आदेश की वैधता और वैधता पर विचार किए बिना।

/

3.6 मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया है जैसे कि उच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।

/

3.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

4. वर्तमान अपीलों का प्रतिवादियों-मूल प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. करपगविनायकम द्वारा जोरदार विरोध किया जाता है।

/

4.1 मूल प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर एकतरफा निर्णय और डिक्री को सही ढंग से दरकिनार कर दिया है कि बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एकतरफा निर्णय और डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश XII के अंतर्गत प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च विचारण न्यायालय ने एकतरफा निर्णय और डिक्री को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया है कि विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित करते समय, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा तैयारी और इच्छा साबित करने की आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि उत्तरदाताओं-मूल प्रतिवादियों ने भी विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित निवेदन दायर किया।तथापि, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने एकतरफा निर्णय और डिक्री पारित करते समय उक्त पहलू पर विचार नहीं किया।

/

/

4.2 अब जहाँ तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका की स्थिरता पर अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलें हैं, उत्तरदाताओं-मूल प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

/

राधे श्याम और अन्र का मामला। बनाम। छबी नाथ और अन्य। (2015) 5 एस. सी. सी. 423 के साथ-साथ के. पी. नटराजन और अन्र के मामले में। बनाम।

/

मुतालम्मल और ओआरएस; (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 467।इस पर भरोसा करें

उक्त निर्णयों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायिक आदेशों को चुनौती वैधानिक अपील या संशोधन के माध्यम से या अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 226 या 32 के अंतर्गत रिट के माध्यम से नहीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने

दो अलग-अलग पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से और अलग-अलग आधारों पर सी. पी. सी. की धारा 115 के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।इसलिए, यह पाए जाने पर कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय और बेचने के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन की डिक्री सी. पी. सी. के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी और प्रासंगिक पहलुओं, जिन पर विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विचार करने की आवश्यकता थी, पर विचार नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

/

/

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विस्तार से उपस्थित होते सुना है।हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को भी देख चुके हैं।6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने वर्ष 2012 में एकतरफा निर्णय और डिक्री पारित की थी।1522 और 2345 दिनों की अवधि के बाद, मूल प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने क्रमशः एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर किए।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश द्वारा 1522 और 2345 दिनों की देरी को विशेष रूप से यह कहते हुए माफ करने से इनकार कर दिया कि एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में भारी देरी को समझाने में कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है।प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अकेले उच्च विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसमें 2345 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने वाले विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।प्रतिवादी संख्या 1 ने उच्च विचारण न्यायालय के समक्ष कोई पुनरीक्षण आवेदन दायर नहीं किया, जिसमें विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया था।इसके बजाय, प्रतिवादी नंबर 1 ने सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन दायर किया, जिसमें एकतरफा निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश/आदेशों की वैधता पर विचार किए बिना आक्षेपित आम ए द्वारा 1522/2345 दिनों की भारी देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया।

/

/

/

/

/

283

मोहम्मद अली बनाम वी. जय और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकतरफा निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया है।

6.1 उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को देखने के बाद, यह देखा जा सकता है कि उच्च विचारण न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि क्या विद्वत निचली अदालत ने 2345 दिनों की इतनी बड़ी देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था।उच्च विचारण न्यायालय ने भी इस तथ्य की सराहना नहीं की है और इस पर विचार नहीं किया है कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 तक 1522 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने वाले विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी।मूल प्रतिवादी नं. 1 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन के माध्यम से विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को सीधे चुनौती दी।भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन को बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है या नहीं, इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।अन्यथा भी, प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध एकतरफा निर्णय और डिक्री के खिलाफ उपाय या तो सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत आवेदन दायर करना या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील करना था।प्रतिवादियों ने सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत आवेदन दायर करके पहले उपाय का लाभ उठाया। हालाँकि, 1522 और 2345 दिनों की भारी देरी हुई, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय ने माफ नहीं किया।इस पर कुछ भी व्यक्त किए बिना कि क्या विद्वत विचारण विचारण न्यायालय विलंब को माफ करने से इनकार करने में उचित था, उच्च विचारण न्यायालय ने केवल विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसमें जहां तक मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का संबंध है, विलंब को माफ करने से इनकार किया गया है।उच्च विचारण न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार और विचार करना चाहिए था कि क्या विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था या नहीं।विलंब को माफ करने से इनकार करने वाले विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर कोई चर्चा नहीं हुई है।6.2 अन्यथा भी और जैसा कि ऊपर देखा गया है, एकतरफा निर्णय और डिक्री के खिलाफ, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से उपाय उपलब्ध था।इसलिए, उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 115 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत संशोधन आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था।उच्च न्यायालय को एकतरफा निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाले ऐसे पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था।एक बार जब प्रतिवादियों के

लिए उपलब्ध अपील के माध्यम से एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय था, तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक रिट याचिका या पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था।

/

/

/

/

/

/

/

284

/

[2022] 13 एस सी आर।

7. इस स्तर पर, के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

विरुधुनगर हिंदू नादरगल धर्म परिवर्तन सबाई और अन्य। बनाम तूतीकोरिन एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य। **; (2019) 9** एस**.** सी**.** सी**. 538** है

संदर्भित करने की आवश्यकता है।उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां कहीं भी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही होती है और मंच सिविल न्यायालय होता है, सी. पी. सी. के अंतर्गत उपचार की उपलब्धता उच्च न्यायालय को हतोत्साहित करेगी और इसलिए, उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत संशोधन पर विचार नहीं करेगा, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां सी. पी. सी. के अंतर्गत ही अपील का एक विशिष्ट उपचार प्रदान किया गया है।ऐसा मानते समय, इसे पैराग्राफ 11 से 13 में निम्नानुसार मनाया और रखा गया हैः-

/

/

“11. दूसरा, उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43, नियम 1 (आर) के साथ पठित धारा 104 (1) (आई) के अंतर्गत अपील का उपाय सीधे उपलब्ध था, तो प्रत्यर्थियों 1 और 2 को उसी का सहारा लेना चाहिए

था।यह सच है कि अपील के उपचार की उपलब्धता हमेशा पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक बाधा नहीं हो सकती है

/

उच्च न्यायालय ।ए. वेंकटसुब्बिया नायडू बनाम एस. चेल्लप्पन में [ए. वेंकटसुब्बिया नायडू बनाम एस. चेल्लप्पन, (2000) 7 एससीसी 695]

, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "हालांकि उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के खिलाफ कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है, यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है जिसने न्यायिक मान्यता प्राप्त की कि उच्च न्यायालय को पक्ष को संवैधानिक उपचार का सहारा लेने से पहले इस तरह के उपायों का लाभ उठाने का निर्देश देना चाहिए।"

/

12. लेकिन अदालतों को हमेशा (i) उन मामलों के बीच अंतर को ध्यान में रखना चाहिए जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में सिविल अदालतों के समक्ष ऐसा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, और (ii) ऐसे मामले जहां विशेष अधिनियमों और/या वैधानिक नियमों के अंतर्गत ऐसा वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और इसमें दिए गए मंच अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण और न्यायाधिकरण होते हैं।पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, जिसमें दीवानी अदालतों के समक्ष मुकदमे और अन्य कार्यवाहियां शामिल हो सकती हैं, सी. पी. सी. के प्रावधानों के संदर्भ में एक अपीलीय उपचार की उपलब्धता को लगभग कुल प्रतिबंध के रूप में माना जा सकता है।अन्यथा, एक खतरा है कि कोई अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक संशोधन में चुनौती दे सकता है, यहां तक कि एक मुकदमे में पारित एक डिक्री भी, उसी आधार पर जिस पर उत्तरदाता 1 और 2 ने उच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया था।यही कारण है कि इस न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने निर्णय ए को निरस्त करते हुए

/

/

/

285

मोहम्मद अली बनाम वी. जय और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय [सूर्य देव राय बनाम राम]

चंदर राय, (2003) 6 एस. सी. सी. 675] ने राधे में बताया

श्याम बनाम छवि नाथ [राधे श्याम बनाम छवि नाथ, (2015)

5 एससीसी 423:(2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 67] कि "दीवानी न्यायालय के आदेश न्यायिक/दीवानी न्यायालय ों के अलावा अधिकारियों या न्यायाधिकरणों या न्यायालय ों के आदेशों से अलग आधार पर खड़े होते हैं।"

/

13. इसलिए जहां कहीं भी कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत होती है और मंच सिविल अदालत होता है, सी. पी. सी. के अंतर्गत एक उपाय की उपलब्धता, उच्च न्यायालय को न केवल स्व-लगाए गए प्रतिबंध के उपाय के रूप में, बल्कि अनुशासन और विवेक के मामले के रूप में, संविधान के अंतर्गत अपनी अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगी।इसलिए, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के अंतर्गत संशोधन पर विचार नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही अपील का एक विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया है। "

/

7.1 मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णय में इस विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करते हुए, उच्च विचारण न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदान किए गए अपील के एक विशिष्ट उपाय को देखते हुए विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।इसलिए, उच्च विचारण न्यायालय ने विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने और अपास्त करते हुए में गंभीर त्रुटि की है।

/

/

7.2 यहां तक कि अन्यथा उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए, उच्च विचारण न्यायालय ने विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की वैधता और वैधता पर टिप्पणी की है जैसे कि उच्च विचारण न्यायालय विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।गुण-दोष पर निर्णय और डिक्री पर विचार करने और/या निर्णय और डिक्री (एक-पक्षीय) की वैधता और वैधता पर गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त करने से पहले, उच्च विचारण न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या विद्वत विचारण विचारण न्यायालय एकतरफा निर्णय और डिक्री पारित करने में उचित था या नहीं।उच्च विचारण न्यायालय को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने

एकतरफा निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने में 1522 और 2345 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करना उचित था और

/

/

/

डिक्री।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश विधि के साथ-साथ तथ्यों दोनों पर अस्थिर है।उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकतरफा निर्णय और डिक्री अपास्त करते हुए ते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश अप्रासंगिक विचारों पर आधारित हैं और यहां ऊपर देखे गए प्रासंगिक पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है और उन पर विचार नहीं किया गया है।इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती हैं। सिविल संशोधन याचिका (एन. पी. डी.) संख्या 1054/2021 और सिविल संशोधन याचिका (पी. डी.) संख्या 1301/2021 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.11.2021 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री के साथ-साथ विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश (ओं), जिसमें एकतरफा निर्णय और मूल प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दायर डिक्री को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका (ओं) को प्राथमिकता देने में 2345 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार किया गया है, इसके द्वारा बहाल किया जाता है।वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।मामले के तथ्यों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

/

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

/

/

/